

श्रम और रोजगार मंत्रालय

मांग संख्या 60

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	4819.16	12.87	4832.03	6432.83	21.15	6453.98	5339.31	16.29	5355.60	7355.53	22.85	7378.38
<i>वसूलियां</i>	-189.86	-0.11	-189.97	-211.24	-0.14	-211.38	-181.38	-0.14	-181.52	-190.00	...	-190.00
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>4629.30</b>	<b>12.76</b>	<b>4642.06</b>	<b>6221.59</b>	<b>21.01</b>	<b>6242.60</b>	<b>5157.93</b>	<b>16.15</b>	<b>5174.08</b>	<b>7165.53</b>	<b>22.85</b>	<b>7188.38</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	40.02	...	40.02	47.89	...	47.89	47.89	...	47.89	58.00	...	58.00
2. श्रम ब्यूरो	9.41	0.02	9.43	11.05	0.03	11.08	11.05	0.03	11.08	12.71	0.03	12.74
3. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), सीजीआईटीज, अनुसंधान एवं आईटीज से संबंधित अन्य मदें	55.01	...	55.01	67.44	...	67.44	66.14	...	66.14	76.28	...	76.28
4. कारखाना सलाह सेवा महा निदेशालय (डीजीफासली)	18.49	...	18.49	21.63	...	21.63	21.63	...	21.63	24.88	...	24.88
5. खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस)	49.45	...	49.45	54.15	0.05	54.20	56.43	0.15	56.58	64.95	0.15	65.10
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	17.00	...	17.00	17.61	...	17.61	20.08	...	20.08	22.00	...	22.00
7. रोजगार महा निदेशालय	42.72	...	42.72	46.26	0.23	46.49	36.38	0.15	36.53	50.84	0.16	51.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>232.10</b>	<b>0.02</b>	<b>232.12</b>	<b>266.03</b>	<b>0.31</b>	<b>266.34</b>	<b>259.60</b>	<b>0.33</b>	<b>259.93</b>	<b>309.66</b>	<b>0.34</b>	<b>310.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
8. श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	35.89	0.04	35.93	48.75	1.25	50.00	41.80	0.20	42.00	67.65	0.35	68.00
<b>औद्योगिक संबंध</b>												
9. न्याय निर्णयन तंत्र का सुदृढीकरण तथा लोक अदालतों का आयोजन	4.55	...	4.55	8.50	...	8.50	7.65	...	7.65	10.00	...	10.00
10. बेहतर सुलह, उपचारात्मक बीच बचाव तथा श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए तंत्र, सीएलसी (सी) तथा आरएलसी (सी) नई दिल्ली के कार्यालय के लिए सीओसी तथा सीएलएस अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।	11.52	...	11.52	16.22	0.28	16.50	11.95	1.18	13.13	19.80	0.20	20.00
<b>जोड़-औद्योगिक संबंध</b>	<b>16.07</b>	<b>...</b>	<b>16.07</b>	<b>24.72</b>	<b>0.28</b>	<b>25.00</b>	<b>19.60</b>	<b>1.18</b>	<b>20.78</b>	<b>29.80</b>	<b>0.20</b>	<b>30.00</b>
<b>कार्यकरण स्थिति और सुरक्षा</b>												
11. क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकास	1.94	0.05	1.99	3.50	0.06	3.56	3.22	0.06	3.28	5.20	0.06	5.26

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. कारखानों, पत्तनों एवं गोदियों में ओएसएच तथा डीजीफासली संगठन का सुदृढीकरण	2.08	2.40	4.48	5.27	2.44	7.71	4.87	2.44	7.31	11.00	6.00	17.00
13. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए शिलांग में क्षेत्रीय श्रम संस्थान की स्थापना	...	...	...	0.03	...	0.03	0.01	...	0.01	0.04	...	0.04
14. खान दुर्घटना विवेक्षण तथा सूचना डाटाबेस का आधुनिकीकरण	4.43	...	4.43	7.80	...	7.80	6.40	...	6.40	10.00	...	10.00
15. डीजीएमएस की अवसंरचनागत सुविधाओं तथा महत्वपूर्ण कार्यों का सुदृढीकरण	5.77	0.17	5.94	9.00	5.70	14.70	7.55	5.70	13.25	12.00	5.00	17.00
<b>जोड़-कार्यकरण स्थिति और सुरक्षा</b>	<b>14.22</b>	<b>2.62</b>	<b>16.84</b>	<b>25.60</b>	<b>8.20</b>	<b>33.80</b>	<b>22.05</b>	<b>8.20</b>	<b>30.25</b>	<b>38.24</b>	<b>11.06</b>	<b>49.30</b>
16. उपकर आधारित श्रम कल्याण योजनाएं	205.64	1.52	207.16	293.67	8.77	302.44	238.24	4.84	243.08	374.15	5.85	380.00
<b>श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं</b>												
17. असंग टित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण तथा आधार संबद्ध पहचान संख्याएं आबं टित करना	45.32	...	45.32	144.50	...	144.50	0.50	...	0.50	100.00	...	100.00
18. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	3540.00	...	3540.00	4025.00	...	4025.00	4025.00	...	4025.00	4771.18	...	4771.18
19. असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	17.90	...	17.90	43.09	...	43.09	43.09	...	43.09	50.00	...	50.00
<b>जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं</b>	<b>3603.22</b>	<b>...</b>	<b>3603.22</b>	<b>4212.59</b>	<b>...</b>	<b>4212.59</b>	<b>4068.59</b>	<b>...</b>	<b>4068.59</b>	<b>4921.18</b>	<b>...</b>	<b>4921.18</b>
20. स्वयंसेवी एजेंसियों को अनुदान सहायता और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना	93.90	...	93.90	140.00	...	140.00	108.00	...	108.00	160.00	...	160.00
21. कौशल विकास प्रशिक्षण	185.78	8.35	194.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं</b>	<b>4154.72</b>	<b>12.53</b>	<b>4167.25</b>	<b>4745.33</b>	<b>18.50</b>	<b>4763.83</b>	<b>4498.28</b>	<b>14.42</b>	<b>4512.70</b>	<b>5591.02</b>	<b>17.46</b>	<b>5608.48</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
22. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	65.27	...	65.27	68.97	...	68.97	76.30	...	76.30	90.00	...	90.00
23. राष्ट्रीय श्रम संस्थान	10.08	...	10.08	14.71	...	14.71	15.25	...	15.25	15.00	...	15.00
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>75.35</b>	<b>...</b>	<b>75.35</b>	<b>83.68</b>	<b>...</b>	<b>83.68</b>	<b>91.55</b>	<b>...</b>	<b>91.55</b>	<b>105.00</b>	<b>...</b>	<b>105.00</b>
<b>अन्य</b>												
24. श्रमिक कल्याण निधियों को/से अंतरण												
24.01 तक	171.64	...	171.64	211.38	...	211.38	191.38	...	191.38	190.00	...	190.00
24.02 से	-189.86	-0.11	-189.97	-211.24	-0.14	-211.38	-191.24	-0.14	-191.38	-190.00	...	-190.00
<i>निवल</i>	<i>-18.22</i>	<i>-0.11</i>	<i>-18.33</i>	<i>0.14</i>	<i>-0.14</i>	<i>...</i>	<i>0.14</i>	<i>-0.14</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>57.13</b>	<b>-0.11</b>	<b>57.02</b>	<b>83.82</b>	<b>-0.14</b>	<b>83.68</b>	<b>91.69</b>	<b>-0.14</b>	<b>91.55</b>	<b>105.00</b>	<b>...</b>	<b>105.00</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
25. कौशल विकास मिशन	122.24	...	122.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>नौकरियां और कौशल विकास</b>												
26. रोजगार सृजन कार्यक्रम												
26.01 कोचिंग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और	14.82	0.08	14.90	20.21	0.14	20.35	19.86	0.14	20.00	25.85	0.15	26.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मार्गदर्शन												
26.02 रोजगार संवर्द्धन योजना	0.69	0.24	0.93	7.20	1.20	8.40	7.20	1.20	8.40	9.00	4.90	13.90
26.03 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	...	...	...	1000.00	...	1000.00	200.00	...	200.00	1000.00	...	1000.00
26.04 राष्ट्रीय कैरियर सेवाएं	47.60	...	47.60	99.00	1.00	100.00	81.30	0.20	81.50	125.00	...	125.00
जोड़- रोजगार सृजन कार्यक्रम	63.11	0.32	63.43	1126.41	2.34	1128.75	308.36	1.54	309.90	1159.85	5.05	1164.90
<b>जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>185.35</b>	<b>0.32</b>	<b>185.67</b>	<b>1126.41</b>	<b>2.34</b>	<b>1128.75</b>	<b>308.36</b>	<b>1.54</b>	<b>309.90</b>	<b>1159.85</b>	<b>5.05</b>	<b>1164.90</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4629.30</b>	<b>12.76</b>	<b>4642.06</b>	<b>6221.59</b>	<b>21.01</b>	<b>6242.60</b>	<b>5157.93</b>	<b>16.15</b>	<b>5174.08</b>	<b>7165.53</b>	<b>22.85</b>	<b>7188.38</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	14.82	...	14.82	18.91	...	18.91	18.56	...	18.56	23.85	...	23.85
2. श्रम और रोजगार	4408.30	...	4408.30	5888.04	...	5888.04	4991.43	...	4991.43	6346.34	...	6346.34
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	40.02	...	40.02	47.89	...	47.89	47.89	...	47.89	58.00	...	58.00
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	0.08	0.08	...	0.14	0.14	...	0.14	0.14	...	0.15	0.15
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	12.68	12.68	...	20.87	20.87	...	16.01	16.01	...	22.70	22.70
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>4463.14</b>	<b>12.76</b>	<b>4475.90</b>	<b>5954.84</b>	<b>21.01</b>	<b>5975.85</b>	<b>5057.88</b>	<b>16.15</b>	<b>5074.03</b>	<b>6428.19</b>	<b>22.85</b>	<b>6451.04</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	155.00	...	155.00	60.95	...	60.95	687.84	...	687.84
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	162.42	...	162.42	111.25	...	111.25	38.60	...	38.60	49.00	...	49.00
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3.74	...	3.74	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>166.16</b>	<b>...</b>	<b>166.16</b>	<b>266.75</b>	<b>...</b>	<b>266.75</b>	<b>100.05</b>	<b>...</b>	<b>100.05</b>	<b>737.34</b>	<b>...</b>	<b>737.34</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4629.30</b>	<b>12.76</b>	<b>4642.06</b>	<b>6221.59</b>	<b>21.01</b>	<b>6242.60</b>	<b>5157.93</b>	<b>16.15</b>	<b>5174.08</b>	<b>7165.53</b>	<b>22.85</b>	<b>7188.38</b>

4. **कारखाना सलाह सेवा महा निदेशालय (डीजीफासली):** कारखाना सलाह सेवा महानिदेशालय (डीजीफासली)

हेतु स्थापना से संबद्ध व्यय का प्रावधान करता है।

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** मंत्रालय के सचिवालय हेतु व्यय प्रदान करता है।

5. **खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस):** संबंधित खान सुरक्षा केंद्र महानिदेशालय के लिए स्थापना से

संबंधित व्यय प्रदान करता है।

2. **श्रम व्यूरो:** श्रम व्यूरो के स्थापना से संबद्ध व्यय का प्रावधान करता है।

6. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षेत्रीय आईएलओ की और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एशियाई

क्षेत्रीय दल कार्यालय को आवास और ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन और धन के लिए वार्षिक सदस्यता के भुगतान भी शामिल है।

3. **मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), सीजीआईटीज, अनुसंधान एवं आईटीज से संबंधित अन्य मदें:** मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)

सीजीआईटीज अनुसंधान एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकियों से संबंधित अन्य मदों हेतु स्थापना से संबद्ध व्यय का प्रावधान करता है।

7. **रोजगार महा निदेशालय:** रोजगार महानिदेशालय के लिए स्थापना से संबंधित व्यय प्रदान करता है।
8. **श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस):** सांख्यिकी के संग्रहण और प्रकाशन, विभिन्न श्रम से संबद्ध विषयों के बारे में जांचें, सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने का प्रावधान करता है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आवंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।
9. **न्याय निर्णयन तंत्र का सुदृढीकरण तथा लोक अदालतों का आयोजन:** केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक विवादों के निपटान के सिलसिले में किए गए व्यय का प्रावधान करता है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आवंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।
10. **बेहतर सुलह, उपचारात्मक बीच बचाव तथा श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए तंत्र, सीएलसी (सी) तथा आरएलसी (सी) नई दिल्ली के कार्यालय के लिए सीओसी तथा सीएलएस अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों और परिपट्टियों में सुधार लाने हेतु सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों श्रम कानूनों, पंचाटों और करारों के त्वरित कार्यान्वयन के संवर्धन, अनुशासन संहिता निर्धारित करने आदि के सिलसिले में किए गए व्यय का प्रावधान करता है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आवंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।
11. **क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकास:** व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली के क्षेत्र में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों और रासायनिक प्रक्रिया उद्योगों की विशेषीकृत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रावधान करता है। इस केन्द्र का उद्देश्य तकनीकी कार्यकलाप निष्पादित करने हेतु विशेषीकृत प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करना, कौशल प्रदान करने हेतु दरवाजे पर सुविधा देना रासायनिक प्रक्रिया उद्योगों हेतु तकनीकी डाटा बैंक और विश्लेषण केन्द्र का सृजन करना है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आवंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।
12. **कारखानों, पत्तनों एवं गोदियों में ओएसएच तथा डीजीफासली संगठन का सुदृढीकरण:** डीजीफासली देशभर में कारखानों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु उन कार्यकलापों पर किए गए व्यय का प्रावधान करता है जो डीजीफासली में अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ करने के क्रम में किए जा रहे हैं जिनसे व्यावसायिक चोटों और रोगों के निवारण एवं नियंत्रण, प्रत्यायन तंत्र की स्थापना करने, ई-शासन कार्यान्वित करने, डीजीफासली कार्मिकों की कौशल और सक्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आवंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।
13. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए शिलांग में क्षेत्रीय श्रम संस्थान की स्थापना:** केन्द्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित उद्योगों में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य वातावरण का संवर्धन करता है, जिसमें छोटी कृषि आधारित आद्योगिक इकाईयों की उपस्थिति अधिक है।
- इसमें उत्तरपूर्व, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) तथा अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आवंटित निधियां शामिल हैं।
14. **खान दुर्घटना विश्लेषण तथा सूचना डाटाबेस का आधुनिकीकरण:** इस योजना का उद्देश्य दुर्घटनाओं तथा खतरनाक घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन तथा प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग करके और प्रवर्तनकारी चैनलों को सक्रिय करके खानों में आपदाओं एवं दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है। खान में संचालन पद्धति एवं पर्यावरण की विस्तृत जांच के

- माध्यम से दुर्घटनाओं एवं आपदाओं के अधिकतम जोखिम वाली खानों की पहचान करना तथा कार्यान्वयन हेतु ऐसी खानों के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना।
- इसमें उत्तरपूर्व, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) तथा अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आवंटित निधियां शामिल हैं।
15. **डीजीएमएस की अवसंरचनागत सुविधाओं तथा महत्वपूर्ण कार्यों का सुदृढीकरण:** इस योजना के उद्देश्यों को डीजीएमएस के प्रवर्तन शाखा को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। विकसित करने के लिए, सुधार और अद्यतन करने की जरूरत के आधार पर बचाव और आपातकालीन खनन उद्योग के लिए प्रतिक्रिया सेवा। कब्जे सुरक्षा, स्वास्थ्य और असंगठित क्षेत्रों की खानों में कल्याण सर्वेक्षण आयोजित करना। यह धन नॉर्थ ईस्ट, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आवंटित भी शामिल है।
16. **उपकर आधारित श्रम कल्याण योजनाएं:** इन योजनाओं में बीड़ी कामगारों, अशक खानों, लौह, क्रोल, (कोयला खान कामगारों को छोड़कर) मैंगनीज अयस्क खानों, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खानों में कार्यरत श्रमिकों एवं सिने कामगारों के कल्याण की व्यवस्था है। इसमें उत्तरपूर्व, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) तथा अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आवंटित निधियां शामिल हैं।
17. **असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण तथा आधार संबद्ध पहचान संख्याएं आवंटित करना:** इस योजना के अंतर्गत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभों का पता लगाने तथा उनकी सुपर्दगी को सुविधाजनक बनाने हेतु एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) चालित मंच स्थापित किया जाएगा। इसमें उत्तरपूर्व, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) तथा अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आवंटित निधियां शामिल हैं।
18. **कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995:** औद्योगिक कामगारों के लिए परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभों का प्रावधान है। यह प्रावधान स्कीमों में सरकारी अंशदान के लिए है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आवंटित निधियां शामिल हैं।
19. **असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा:** इस स्कीम में असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा, बागान कामगारों के लिए असम-परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा स्कीम के चाय बागान कामगारों के लिए निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना का प्रावधान है तथा चाय बागान कामगारों के लिए निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम का प्रशासन असम के बागान कामगारों के संबंध में असम की राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है, जो असम सरकार द्वारा प्रशासित असम चाय बागान भविष्य निधि और परिवार पेंशन एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा अधिनियम द्वारा शासित हैं। इस प्रावधान द्वारा स्कीम में केन्द्र सरकारों के अंशदान के साथ-साथ प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की भी पूर्ति की जाती है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आवंटित निधियां शामिल हैं।
20. **स्वयंसेवी एजेन्सियों को अनुदान सहायता और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना:** इसमें स्वयंसेवी एजेन्सियों को अनुदान सहायता और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के संविन्यास, समन्वय और कार्यान्वयन का प्रावधान है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आवंटित निधियां शामिल हैं।

21. **कौशल विकास प्रशिक्षण:** यह योजना कौशल विकास मंत्रालय को 20 अप्रैल, 2016 से अंतरित कर दी गई है।

22. **केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड:** कामगार शिक्षा संबंधी योजना का उद्देश्य कार्यबल में जागरूकता का सृजन करना एवं और जागरूक बनाना तथा शिक्षित करना है ताकि देश के समाजार्थिक विकास में उनकी प्रभावी प्रतिभागिता हो सके। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई स्तर के संगठित, असंगठित, ग्रामीण एवं औपचारिक क्षेत्र के कामगारों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन बोर्ड द्वारा देशव्यापी 50 क्षेत्रीय एवं 9 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों और सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान नामतः भारतीय कामगार शिक्षण संस्थान, मुंबई के माध्यम से किया जाता है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति के घटक एवं अनुसूचित जनजाति के घटक के लिए निधि का आवंटन शामिल है।

23. **राष्ट्रीय श्रम संस्थान:** वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। अपनी स्थापना के बाद संस्थान उन सभी जो श्रम के विभिन्न पहलू के साथ संबंध है, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में पहुँचने के लिए शोध, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से प्रयास किया है। यह धन नॉर्थ ईस्ट, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आवंटित भी शामिल है।

24. **श्रमिक कल्याण निधियों को/से अंतरण:** उपकर से प्राप्त धनराशियों के विभिन्न श्रम कल्याण निधियों को अंतरण तथा इन निधियों से उपगत किए गए श्रम कल्याण संबंधी व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है।

25. **कौशल विकास मिशन:** यह स्कीम 20 अप्रैल, 2016 से कौशल विकास मंत्रालय को अंतरित की गई है।

26.01. **रोजगार सृजन कार्यक्रम:** इस योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन एवं केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है ताकि इन श्रेणियों के आवेदकों के लिए आत्म विश्वास के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक मार्गदर्शन किया जा सके। ये कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अभिकरणों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने में संलग्न हैं। रोजगार कार्यालयों से पंजीकृत अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए एक अन्य योजना भी कुछ कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा शुरु की गई है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति के घटक एवं अनुसूचित जनजाति के घटक के लिए निधि का आवंटन शामिल है।

26.02. **रोजगार संवर्द्धन योजना:** विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना पीडब्ल्यूडी की अंतर्निहित क्षमताओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया गया है जिसमें उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय संबंधी दिशानिर्देश एवं कैरियर संबंधी सलाह तथा आर्थिक पुनर्वास की प्रक्रिया में उन्हें सहायता प्रदान की जाती है।

26.03. **रोजगार सृजन कार्यक्रम:** इस योजना के तहत रोजगार का सृजन, जिसमें सरकार के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। के भारत के पहले 3 वर्षों के लिए नए कर्मचारियों के संबंध में ईपीएस योजना के तहत मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के नियोक्ताओं के अंशदान का भुगतान करती है। यह धन नॉर्थ ईस्ट, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आवंटित भी शामिल है।

26.04. **रोजगार सृजन कार्यक्रम:** राष्ट्रीय जीवनवृत्ति सेवा परियोजना एक मिशन प्रणाली परियोजना है जो एक ऐसे डिजिटल पोर्टल की परिकल्पना करती है जो नौकरी का मिलान करने के लिए नौकरी की तलाश करने वालों और नियोजकों के लिए गतिशील, दक्ष तथा प्रतिक्रियात्मक तरीके से देशवार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करती है। इसमें 3000 से अधिक व्यवसायों के

जीवनवृत्ति पाठ का भरपूर संग्रहण है। यह पोर्टल नौकरी के मेलों का आयोजन करने की सुविधा भी प्रदान करता है जहां नियोजक और नौकरी की तलाश करने वालों दोनों वार्तलाप कर सकते हैं। यह प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके रोजगार सेवा का परिदान करने के लिए राज्यों द्वारा स्थापित किए जाने वाले मॉडल जीवनवृत्ति केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना करने की परिकल्पना करता है।